as Director of Grievances. Instructions have also been issued to all the Ministries/Departments of the Government of India for issuing booklets/pamphlets about the facilities available to the public. These instructions emphasise that through such publications it may be ensured that the members of the public can approach the right authority and follow the prescribed procedure for obtaining the services/facilities easily. They have also been advised that the grievances columns in newspapers should be regularly examined with a view to picking up cases which relate to them and to take action on them in a time-bound manner. Regular meetings are also held by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances on public grievances matters with the Directors of Public Grievances of State Governments as well as Ministries/Departments of the Government of India to review the grievances redressal machinery set up by them. The Department of Pension and Pensioners' Welfare have recently apprised the public through a programme titled 'Pension Tension' which was telecast on Doordarshan Network. This programme apprised the viewers about the pension rulesprocedures and the functioning of the Department. Another programme on pension was telecast on zee T.V. which related to redressal of pensioners' grievances.

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती हेतु अधिकतम आयु-सीमा

1638. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिये कितनी अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित की गई है और यह कित वर्ष निर्धारित की गई थी ;

(ख) क्या सरकार को इस अधिकतम आयु-सीमा को बढ़ाये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, यदि हां, तो उन पर क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती के लिये अधिकतम आयु-सीमा में वृद्धि की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार देश की जनसंख्या-वृद्धि से उत्पन्न स्थिति तथा इस समय सरकारी सेवाओं में भर्ती के कम अवसर उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि करेगी और इस संबंध में अब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) मार्च, 1972 से समूह "ग" (तृतीय श्रेणी) के पदों पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। समूह "घ" चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिये भी आयु सीमा 25 वर्ष है।

(ख) हाल ही में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सिविल सेवा परीक्षा, 1991 से समूह क/ख (प्रथम/द्वितीय श्रेणी) के पद/सेवा पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है।

(घ) समूह ग/घ पदों पर नियुक्ति के लिये विद्यमान अधिकतम आयु सीमा, कार्य की प्रकृति, शैक्षणिक अर्हताओं तथा अनुभव की अपेक्षाओं को देखते हुये निर्धारित की गई है और इसीलिये इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरियों सीमित होने के कारण अधिकतम आयु सीमा बढ़ा देने मात्र से ही इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या के लिये रोजगार के अवसर स्वतः ही बढ़ नहीं पायेंगे।

Facilities to states consequent on Panchayat elections

1639. SHRI RAMJI LAL. Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what assistance/facilities have been provided by Government of India to the States where penchayat elections have been held;

(b) what are the details thereof, rural development scheme-wise, for the current as well as for the last year; and

(c) whether Government of India have stopped providing the funds and assistance to the States where penchayat elections have not been held so far; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) But for the normal funds under various programmes of this Ministry like Jawahar Rozgar Yojana (JRY), Integrated Rural Development Programme (IRDP), Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) etc. no specific assistance is given to the States where panchayat elections have been held.

(c) Before processing the proposals to release 2nd instalment of funds under various programmes for the year 1994-95, this Ministry had requested 1994-95, this Ministry had requested the State Governments to chalk out the programme of panchayat elections.

बंजरभूमि के विकास हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रदान की गई धनराशि

1640. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993--94 और 1994--95 के दौरान बंजरभूमि के विकास हेतु स्वच्छिक संस्थाओं को अनुदान के रूप में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई ;

(ख) मध्य प्रदेश में किन किन संस्थाओं को अनुदान के रूप में कितनी कितनी धन राशि प्रदान की गई थी ; और

(ग) सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा राज्य में किस सीमा तक बंजरभूमि विकास कार्य किया गया है और इन संस्थाओं को मिली सफलता के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के बंजरभूमि विकास विभाग में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) स्वैच्छिक संगठन, बंजरभूमि विकास विभाग की समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम तथा अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिये अनुदान हेतु उपयुक्त है । 1993--94 तथा 1994--95 के दौरान बंजरभूमि विकास के लिये स्वैच्छिक संगठनों को 7.64 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गई है ।

(ख) स्वैच्छिक संगठनों के नाम तथा मध्य प्रदेश में प्रत्येक संगठन को मुहैया की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है (नीचे देखिये) ।

(ग) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम और अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं को 3 से 5 वर्षों की अवधि के लिये स्वीकृत किया जाता है इन स्वैच्छिक संगठनों की स्वीकृत कोई भी परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है । अत: उनके द्वारा प्राप्त की गई भौतिक उपलब्धियों को आंकना संभव नहीं है ।

विवरण

स्वैच्छिक संगठनों के नाम जिनको मध्य प्रदेश में अनुदान दिया गया है और प्रत्येक को दी गई राशि

क्रमांक	स्वैच्छिक संगठन का नाम	अनुदान की राशि
		(लाख रु० में)
1	नेशनल सेंटर फार ह्यूमन सेटलमेंट तथा इन्वायरमेंट, भोपाल	24.93
2	डेवलपमेंट आलर्टनेटिवज	7.00
	योग :	31 93